

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

85039 - वह ऐसे देश में रह रहा है जहां जानवर ज़बह करने पर प्रतिबंध है तो क्या वह कुर्बानी की कीमत को दान में दे सकता है

## प्रश्न

मैं अपने परिवार सहित ऐसे देश में रह रहा हूँ जहाँ जानवर ज़बह करने की अनुमति नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उसकी कीमत दान में दे सकते हैं?

## विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

यदि इससे अभिप्राय कुर्बानी या नवजात शिशु की ओर से अक्रीका करना है और आप जिस देश में रह रहे हैं उस में ज़बह करना संभव नहीं है, तो आपके लिए बेहतर यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे भेज दें जो आपकी तरफ से किसी अन्य देश में कुर्बानी कर सके, जहां परिवार के सदस्य या गरीब और जरूरतमंद लोग मौजूद हों। क्योंकि कुर्बानी या अक्रीका का जानवर ज़बह करना उसकी कीमत दान में देने से बेहतर है।

इमाम नववी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं : “अक्रीका करना हमारे निकट उसकी कीमत दान करने से बेहतर है। यही अहमद और इब्नुल-मुज़िर का भी विचार है।”

“अल-मजमूअ” (8/414) से अंत हुआ।

तथा “मतालिब ऊलिन्नुहा” में कहा गया है कि : “(उसका ज़बह करना) अर्थात कुर्बानी के जानवर को ज़बह करना (और ज़बह करना (अक्रीका का: उसकी कीमत दान करने से बेहतर है) इसे स्पष्टता के साथ वर्णन किया गया है [अर्थात इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने इसे स्पष्टता के साथ वर्णन किया है] और यही मामला हदी का भी है। इस हदीस की वजह से कि : “कुर्बानी के दिन (दसवीं जुल-हिज्जा को) आदम के पुत्र (यानी मनुष्य) का कोई काम अल्लाह के निकट खून बहाने से अधिक पसंदीदा नहीं है। वह प्रलय के दिन अपनी सींगों, खुरों और बालों के साथ आएगा। निःसंदेह उसका रक्त ज़मीन पर

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

गिरने से पहले अल्लाह के यहां स्वीकृति का स्थान प्राप्त कर लेता है। अतः खुशदिली के साथ कुर्बानी करो।” इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है। तथा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने स्वयं कुर्बानी की है और हदी के जानवर मक्का भेजे हैं और आपके बाद खुलफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी ऐसा ही किया है। यदि (कुर्बानी के जानवर की) कीमत को दान करना बेहतर होता तो वो लोग इससे उपेक्षा न करते।” अंत हुआ। उपर्युक्त हदीस को अल्लामा अल्बानी ने अल-सिलसिला अज़-ज़ईफ़ा (हदीस संख्या : 526) में ज़ईफ़ कहा है।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह से प्रश्न किया गया : “क्या कुर्बानी के जानवर को उस देश में ज़बह करना जायज़ है जिसमें आप रह रहे हैं, या आप उसके बदले में एक धनराशि अपने देश या मुसलमानों के किसी देश में भेज देंगे?”

तो उन्होंने ने जवाब दिया :

“यदि आपका परिवार आपके साथ है तो बेहतर यह है कि आप अपने देश में कुर्बानी करें। और यदि आपका परिवार कहीं और है और उनके पास उनके लिए कोई कुर्बानी करने वाला नहीं है, तो आप उनके लिए पैसे भेज दें ताकि वे वहाँ कुर्बानी कर सकें।”

“मजमूओ फतावा शैख इब्ने उसैमीन” (24/207).

और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाला है।